

(210)
(20)

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



Letter No- 15/उ०/बायो अनु०-11/2018

/Agri., Patna, Dated ,2018

Received from M/s Maa Annapurna Bio Fertilizers a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number 00099 Dated 20-02-2018 deposited in State Bank of India, Bailey Road, Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied (as mentioned in table below) for a period 3 years from date of issue unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 124

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Maa Annapurna Bio Fertilizers Style-Wholesale Dealer	Bara Bazar Ganghi Chowk, Darbhanga -846004	Bara Bazar Ganghi Chowk, Darbhanga- 846004	1. PSB (Liquid based)	M/S Greenbay Biotech International Pvt. Ltd.

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. Rajeev Kumar,
M/s Maa Annapurna Bio Fertilizers
S/o. Ram Shankar Choudhary
P.O- Patori, Darbhanga - 846003

Memo No.....

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

Sd /-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
551- /Agri., Patna, Dated 26-9-2018
[Signature]
20.11.18
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
उर्वरक प्रशाखा

पत्र संख्या--15/उ०/बायो० अनु०- 11/2018

550 /क०, पटना, दिनांक 26-4-2018

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे० मा अन्नपूर्णा बायो फर्टिलाइजर्स,
बड़ा बाजार, गांधी चौक, दरभंगा
बिहार -846004

विषय : उर्वरक विपणन प्राधिकार पत्र एवं आवश्यक शर्तों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके विपणन प्राधिकार पत्र संख्या--124
दिनांक 26/04/2018 वैधता तिथि 25/04/2021 को निर्गत किया जाता है।

इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

ह०/-

(हिमांशु कुमार राय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापक :

550 दिनांक : 26/4/2018
प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरक का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतियोगिता अधोहरताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20-4-18
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।